क्रम-संख्या---2014

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 881

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1932/सत्रह-वि-1--1(क)39-1989

लखनऊ, 6 अक्तूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3 और 4 चौबीस अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 5 आठ अगस्त, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 6 दो सितम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में शब्द "गढ़वाल विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "जिसे 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहा जायेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

नयी धारा 72-ख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 72-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था।

"72-ख—दिनांक 25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 8 के सामने स्तम्भ 2 में, शब्द "गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द "राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय" के पश्चात् शब्द "या चिकित्सा शिक्षा देने वाला कोई महाविद्यालय" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 31-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 31-ख में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(2-क) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 के पैरा 2 के उप पैरा (1) के खण्ड (चार) या खण्ड (पांच) में निर्दिष्ट किसी रिक्ति में तदर्थ आधार पर ऐसे आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 3 जनवरी, 1984 को या उसके पूर्व सीधे नियुक्त हुआ है और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से 2 सितम्बर, 1989 तक महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा है और जो संबंधित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता है या जिसे उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि—

(क) उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति 2 सितम्बर, 1989 को उपलब्ध हो; और

(ख) अध्यापक का कार्य और आचरण संतोषप्रद पाया जाय।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1989, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1989 और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

1989 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1989
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सम्बन्धित अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG—1

No. 1932 (2) i/XVII-V—1-1 (KA) 39-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shiksha Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH EDUCATION LAWS AMENDMENT ACT, 1989

[U. P. ACT No. 26 OF 1989]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *and the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act*, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education laws Amendment Act, 1989. Short title and commencement

(2) Sections 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on April 24, 1989, section 5 shall be deemed to have come into force on August 8, 1989, section 6 shall be deemed to have come into force on September 2, 1989 and the remaining sections shall come into force at once.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter in this Chapter, referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "University of Garhwal" the words "which shall from April 25, 1989 be called the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University" shall be *inserted* Amendment of section 4 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

Insertion of new section 72-B

3. *After* section 72-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Transitory provision on change of name of Garhwal University

"72-B. With effect from April 25, 1989 any reference to the University of Garhwal in this Act or any rules, statutes, ordinances statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings shall be construed as a reference to the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University."

Amendment of the Schedule

4. In the Schedule to the principal Act, in column 2 against serial number 8, *for* the words "The University of Garhwal" the words "Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University" shall be *substituted*.

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh HigherEducation Services Commission Act, 1980

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 16 of 1980

5. In section 2 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in clause (*c*) *after* the words "the State Government", the words "or a College imparting medical education" shall be *inserted*.

Amendment of section 31-B

6. In section 31-B of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely—

"(2-a) A teacher other than a Principal directly appointed on or before January 3, 1984 on *ad hoc* basis in a vacancy referred to in clause (iv) or clause (v) of sub-para (1) of paragraph 2 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1982 or in clause (iv) or clause (v) of sub-para (1) of paragraph 2 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1983, in accordance with the provisions of such Orders and continuously serving the college from the date of such *ad hoc* appointment till September 2, 1989, who possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the concerned Statutes, may be given substantive appointment by the Management of the College, if :—

(*a*) any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available on September 2, 1989; and

(*b*) the work and conduct of the teacher is found satisfactory."

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 1989, the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1989 and the Uttar Pradesh Higher Education (Second Amendment) Ordinance, 1989 are hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 5 of 1989
U. P. Ordinance no. 16 of 1989
U. P. Ordinance no. 20 of 1989

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts mentioned in Chapters II and III, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the respective Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस ०य०पी०—ए० पी० 155 सा० विधा०—(2367)—1989—850 (वेक०)।